




### फर्म अहकाम

(नियम 25)

नज अदालत Aem-II मुकाम सीकर  
शिवपुरा बंगाम सीकर  
 किरत मुकदमा ६१९ नं ११ मं २०१३

तारीख हुबम	हुबम या कार्यवाही इतिहास व न	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुबम की तारीख में जारी हुए
	<p>जान - मामो पिन है। आपत्रि की प्रति लीक प्रतिवादीगण को निर्धारित अवधि पर मुकदमा। लीक प्रतिवादीगण ने जमाने के दौरान हमन कि कि वादी की ओर से की गई आपत्रि सादरीत क तय्यो के विपरित है वादी का कलम लेखिका इशारा जमाये। आवेदन स्वीकृत कर माफा जावे।</p> <p>हमने वादी द्वारा तस्टर विमान प्रस्ताव पर भी गई आपत्रि आवेदन व तस्तीलदार द्वारा लिखवाला जमा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा आपत्रि वाद के सं. नं. 527 23 व 0-61 हैं। वादी द्वारा किंगरेपट में से 04 सिद्धक एवं 013 वरु वेल्वाला-वाल गमाये तथा - मामो पिन द्वारा 31/5/2017 द्वारा सं. नं. 527, 528, 802, 804, 805, 806, 815 कितो 7 वरु 2 वरु 13.93 हैं। वादी द्वारा किंगरेपट का धरि सिद्धक एवं 013 वरु वेल्वाला का वेल्वाला प्रस्ताव आवत जाठ किती जारी की थी। प्रति वादी द्वारा 3 वरु सं. नं. 527 23 व 0-61 हैं वादी द्वारा</p>	 <p>633      सहायक कलक्टर (दिलीप) सीकर</p>

तारीख  
दृश्य

दृश्य या कार्यवाही मंत्र इतिहासक अत्र

सिमेंटावट की विभाजन प्रस्ताव  
है पाया पर मिठा था जिसकी पालना  
में तदानीलपार छोड़ द्वारा विभाजन  
प्रस्ताव संसार कर सिपवामा है प्रिके  
के. ५ के खे. नं. ५२३ सि. ०.०१५३ है  
वादी शिखरमाल पुत्र गोरेलाल के सिमेंट  
के दशमि गमा है मता वादी द्वारा की  
गई आपत्ति आचारहीन न होने के खारिज  
की जाती है।

तदानीलपार छोड़ के पत्र  
नं-म २२/३२६५ दि-२२/८/२२ के द्वारा  
सिपवादे गये विभाजन प्रस्ताव पर नवीन  
प्रतिषेधितान ने कथारि जातरी ऐसी  
स्थिति में तदानीलपार द्वारा प्रस्तावित  
विभाजन प्रस्ताव अस्मात् अंतिम सिद्धि  
जाती किये जाने के आदेश दिये  
जाते है तदानीलपार छोड़ द्वारा सिपवादे  
गये विभाजन प्रस्ताव अंतिम सिद्धि ना  
जागरहेतु। विभाजन प्रस्ताव की प्रति  
पालना तदानीलपार छोड़ के सिपवादी  
जाने। तदानीलपार छोड़ को पत्रावली पत्रक  
अस्मात् छोड़ नस्मात् के कर है पा सिद्धि  
अस्मात् छोड़ निवेदि अस्मात् -पालना के पत्रावली  
अस्मात्)



(1/8)  
सहायक कलेक्टर (वि. वि.) सीकर